



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4865/2025

Nitesh Yadav @ Nitya S/o Shri Ramkumar Yadav, Aged About 23 Years, R/o Village Chandlai, Police Station Bansur, District Alwar Presently Residing At Tenant Radharani Boys P.G., Katewa Nagar, Gujar Ki Thadi, Police Station Shyam Nagar, Jaipur. (At Presently Confined At Central Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Saurabh Jain, Adv. Mr. Hanumant Singh, Adv. Mr. Aditya Jain, Adv
For Respondent(s)	:	Mr. Tapesht Agarwal, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

09/04/2025

1. प्रार्थी/अभियुक्त नितेश यादव उर्फ नित्या की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना—महेश नगर, जयपुर दक्षिण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—55/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 309(4), 115(2), 126(2), 140(2), 324(6) बी.एन.एस.एस. (बाद अनुसंधान धारा 309(4), 115(2), 126(2), 140(2), 324(6) बी.एन.एस.एस. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम) में पेश किया गया है।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। मामले के परिवादी प्रमोद मण्डार द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना महेश नगर को एक पत्र लिखकर दिया है, जिसमें परिवादी ने व्यक्त किया है कि उसने यह प्रथम सूचना रिपोर्ट गलतफहमी में दर्ज करा दी



थी तथा वह उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह भी तर्क है कि इस मामले में नामजद अन्य सह-अभियुक्तगण भरतसिंह, वीनू उर्फ मीनू चौधरी, आकाश चौधरी व अमित जाट की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिकाएं इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 26.03.2025 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला जमानत पर छोड़े गये सह-अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रकरण के सह-अभियुक्त भरत सिंह की ओर से प्रस्तुत S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2243/2025, सह-अभियुक्त वीनू उर्फ मीनू चौधरी की ओर से प्रस्तुत S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2358/2025, सह-अभियुक्त आकाश चौधरी की ओर से प्रस्तुत S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2745/2025 तथा अन्य सह-अभियुक्त अमित जाट की ओर से प्रस्तुत S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3725/2025, दिनांक 26.03.2025 को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सह-अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।



6. परिणामतः प्रार्थी—अभियुक्त **नितेश यादव उर्फ नित्या पुत्र श्री राम कुमार यादव** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी—अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—55/2025, पुलिस थाना महेश नगर, जयपुर दक्षिण** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **पचास हजार रुपये का बन्ध—पत्र तथा पच्चीस—पच्चीस रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां** प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। प्रार्थी—अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J